

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2968

सोमवार, 21 मार्च, 2022/30 फाल्गुन, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

वैश्विक महामारी के पश्चात् पर्यटन क्षेत्र का पुनरुद्धार

†2968. श्री रमेश बिधूडी:

श्री जी.एम. सिद्धेश्वर:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन उद्योग, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण भारी नुकसान हुआ है, के विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यटन क्षेत्र में कितने लोगों ने रोजगार खोया तथा कोरोना वायरस के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में कितनी वित्तीय हानि हुई;
- (ग) क्या सरकार ने बेरोजगारों को कोई राहत पैकेज प्रदान किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश के पर्यटन उद्योग को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ.): भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राजकोषीय तथा गैर-राजकोषीय उपाय जिनसे पर्यटन उद्योग को सहायता मिलने की आशा की जाती है, का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएडआर) ने “भारत तथा कोरोनावायरस महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों के आर्थिक नुकसान और बहाली संबंधी नीतियां” विषय पर एक अध्ययन करवाया था। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:-

- वर्ष 2020-21 में समग्र आर्थिक मंदी के कारण पर्यटन अर्थव्यवस्था अथवा पर्यटन प्रत्यक्ष सकल मूल्यवर्धन (टीडीजीवीए) में पहली तिमाही में 42.8%; दूसरी तिमाही में 15.5% और तीसरी तिमाही में 1.1% की गिरावट देखी गई।

- अनुमान है कि महामारी के दौरान पर्यटक आगमन में और उसके परिणामस्वरूप पर्यटन संबंधी व्यय में आई अत्यधिक गिरावट के कारण वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में टीडीजीवीए पिछले वर्ष की समान तिमाही के स्तर की तुलना में 93.3 प्रतिशत गिर गया था। दूसरी तिमाही में कुछ बेहतर प्रदर्शन के साथ यह गिरावट 79.5% और तीसरी तिमाही में 64.3% के स्तर पर रही।
- लॉकडाउन लगाए जाने के बाद पर्यटन क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार का नुकसान हुआ। पहली तिमाही के दौरान 14.5 मिलियन दूसरी तिमाही के दौरान 5.2 मिलियन और तीसरी तिमाही के दौरान 1.8 मिलियन रोजगार के नुकसान का आकलन है जबकि वर्ष 2019-20 की महामारी से पहले की अवधि में अनुमानित 34.8 मिलियन रोजगार (प्रत्यक्ष रोजगार) था।

अनुबंध

वैश्विक महामारी के पश्चात् पर्यटन क्षेत्र का पुनरुद्धार के सम्बन्ध में दिनांक 21.03.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +2968 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में विवरण

सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय और राहत उपाय निम्नलिखित हैं, जिनसे भारतीय पर्यटन उद्योग को लाभ होने की आशा की जाती है:-

- i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने का ऋण-स्थगन होगी।
- ii. सरकार ने 100 से कम कर्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।
- iii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर प्रत्येक के लिए 10% कर दिया गया है।
- iv. अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन।
- v. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगन, बाकी के लिए @9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ।
- vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।
- vii. भारतीय रिजर्व बैंक ने आवधिक ऋण पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है।
- viii. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।
- ix. भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की है। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 30.06.2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30.09.2021 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत जारी गारंटियों का विवरण निम्नानुसार है:-

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर्यटन और आतिथ्य योजना के अनुसार 31.01.2022 तक के आंकड़े			
उद्योग की प्रकृति	इसके तहत सहायता	जारी की गई गारंटी की संख्या	योजना के तहत स्वीकृत ऋण के मद में जारी गारंटियों की राशि (करोड़ रु में)
यात्रा और पर्यटन	ईसीएलजीएस 3.0	3,092	1,696.42
आतिथ्य	ईसीएलजीएस 3.0	3,853	6,841.91
होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन	ईसीएलजीएस 2.0	220	3,426.40
पर्यटन, होटल एवं रेस्टोरेंट	ईसीएलजीएस 1.0	96,550	3,569.68
कुल		1,03,715	15,534.41

- x. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को सर्विस एक्सपोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है। इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लिए एसईआईएस जारी रखने के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है कि राशि एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- xi. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास और रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।
- xii. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।
- xiii. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।
- xiv. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए "साथी" (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

- xv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।
- xvi. 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार, एक बार वीजा जारी होने के बाद, पहले 5 लाख पर्यटक वीजा निःशुल्क जारी किए जाएंगे। पहले 5 लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार मुफ्त वीजा का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 मार्च 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी।
- xvii. "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्रके लिए ऋण गारंटी योजना(एलजीएससीएटीएसएस) के तहत वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइडों तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइडों तथा पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा एवं व्यापार हितधारकों (टीटीएस) को कवर किया जायेगा। प्रत्येक टीटीएस 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे, जबकि प्रत्येक पर्यटक गाइड एक लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं होगा, फोर क्लोजर/ पूर्व भुगतान शुल्क की छूट और अतिरिक्त संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा एनसीजीटीसी के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजना है।
